श्रामपुर में दिल्ली जाने वाली ट्रेन के ठहराव के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री ने रेलवे अधिकारियों से की चर्चा

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।
हिला एवं बाल विकास मंत्री तथा त्र विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जपुर जिले के बिश्रामपुर रेलवे पर ट्रेन क्रमांक 22407/22408 पुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस मित ठहराव की मांग के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक करने का आग्रह किया है।

वनंदनपुर-बिश्रामपुर की रेल समिति के प्रतिनिधियों ने मंत्री राजवाड़े से मुलाकात कर उन्हें सौंपा। ज्ञापन में बिश्रामपुर एवं आसपास के क्षेत्र के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्रेन के नियमित ठहराव की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बिश्रामपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, मरीजों एवं अन्य यात्रियों को दिल्ली तथा अन्य प्रमुख स्थानों तक आवागमन के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियमित ठहराव से क्षेत्र के लोगों को यात्रा में सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे के संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने बिश्रामपुर क्षेत्र की जनसुविधा एवं यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के नियमित ठहराव के संबंध में सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा से जुड़े विषयों पर संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिश्रामपुर में ट्रेन का नियमित ठहराव होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ होगा।

रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने उनकी मांग पर त्वरित ध्यान दिए जाने के लिए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया।

, एसपी ा यात्रा

निधियो, अधिकारियो-रियों, शिक्षको, स्कूली त्राओं और जिलेवासी साथ कदमताल करते हुए प्रति अपने सम्मान और का भाव व्यक्त कर रहे

लेक्टर अमृत विकास सियों से हर घर तिरंगा क्रय सहभागिता निभाने, तिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक ाने तथा राष्ट्र की एकता, व को सशक्त बनाने में निश्चित करने की अपील सर पर जिला पंचायत पदी कीर्तन चंद्रा, जिला युष शर्मा, टिकेश्वर गबेल, अपर कलेक्टर बीरेंद्र लेक्टर के.एस. पैंकरा, अरुण सोम, एसडीएम मरकाम सहित विभिन्न संबंधित अधिकारी-स्कूली छात्र-छात्राएं आम वासी उपस्थित रहे।

आज जिले में होंगे देशभक्ति से जुड़े विविध आयोजन

लोकसदन ➤➤ बिलासपुर।
हर घर तिरंगा अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त को बिलासपुर में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से दिनभर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 7.30 बजे तिरंगा दौड़ एवं मैराथन का आयोजन नेहरू चौक से पंडित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक किया जाएगा। इसके पश्चात सुबह 8.30 बजे भारत विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित होगा। इसी क्रम में सुबह 11 बजे सीएमडी चौक से तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे मिनी स्टेडियम दयालबंद से रिवर व्यू तक तिरंगा यात्रा आयोजित होगी। शाम 6 बजे रिवर व्यू में वंदेमातरम् बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिलेवासियों से इन सभी आयोजनों में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना से जुड़ा अभियान है। उन्होंने नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता कर स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों को सफल बनाने का आह्वान किया है।

केनरा बैंक Canara Bank | **बिलासपुर शाखा (छ.ग.)**

एग्री गोल्ड लोन अकाउंट्स के लिए नीलामी और आखिरी रिमाइंडर

स्व. प्रफुल्ल त्रिपाठी पति जगदीश त्रिपाठी के सभी ज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी, 103, जूना बिलासपुर, बिलासपुर-495001 (छ.ग.) 90396 64111.
प्रिय महोदय/महोदया,
संदर्भः नोटिस 3/164125895311/प्रफुल्ल
विषयः स्वर्ण ऋण खाता सं. 164125895311, तारीख 16/02/2026, राशि रू. 1,85,000/-
कृपया हमारे पत्र सं. **Notice 2/072026**, दिनांक **22 जुलाई 2026** का संदर्भ लें, जिसमें आपको पर्याप्त मार्जिन बनाए रखने/अपने ऋण खाता को रेगुलर करने की सलाह दी गई थी।

इस क्रेडिट सुविधा को सुरक्षित करने के लिए आपने निम्नलिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं:
1. **NF497**- गोल्ड ज्वेलरी के बदले लोन/ओवरड्राफ्ट (OD) के लिए एप्लीकेशन और गिरवी रखने का पत्र।

आपने **16 फरवरी 2026** के अपने पत्र के माध्यम से इस क्रेडिट सुविधा के तहत अपनी देनदारी स्वीकार की है।

अब क्रेडिट/लोन सुविधा के तहत आपको बैंक को **रू. 1,03,851/- (22 जुलाई 2026** तक के ब्याज सहित) चुकाने हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, आप बकाया राशि और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

हम आपको आखिरी बार कहते हैं कि आप बैंक को **रू.1,03,851/-** की राशि, **9.00** प्रतिशत ब्याज (जो तिमाही/छमाही आधार पर कंपाउंड होगा) के साथ, इस पत्र के मिलने के 15 दिनों के भीतर चुकाएं। ऐसा न करने पर, बैंक नीचे बताई गई तारीख और जगह पर नीलामी करके आपके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के गहनों को बेचने और उससे मिली रकम को आपके लोन अकाउंट में जमा करने के लिए मजबूर होगा।
नीलामी की तारीखः 28-08-2026
नीलामी की जगहः बिलासपुर
अगर और जानकारी चाहिए, तो कृपया नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें।

भवदीय
शाखा प्रबंधक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) Regional Office, Raipur (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचनाः

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
01	**पिताम्बर फिलिंग स्टेशन प्रोप. श्री अनिल कुमार सिंह**	**श्रीमती प्रीति सिंह** के नाम पर खसरा नं. **448/15**, प.ह.नं. 23, रा. नि.मं.- 06, वार्ड नं. 46, संत गहिरा गुरु वार्ड, मुख्य बिलासपुर रोड से 100 मीटर अंदर, लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर, तहसील-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल **0.286** हेक्टेयर पर स्थित खुली भूमि वाली संपत्ति। **चौहद्दी इस प्रकारः उत्तर-** सरस्वती भगत एव अन्य का प्लॉट, **दक्षिण-** पनमेश्वरी का प्लॉट, **पूर्व-** मुनिया एवं अन्य का प्लॉट, **पश्चिम-** अनिल का प्लॉट।	10/06/2021 **₹ 1,26,58,204.00** + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 17/01/2022	₹ 72,07,000/- ₹ 7,20,700/- ₹ 1,00,000/-	मुख्य शाखा अंबिकापुर श्री सौरव प्रधान 96859 95255

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
28/08/2026 दोपहर 02:00 बजे से 4:00 बजे के बीच	29/08/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।	29/08/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी: **चरण 1**- बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल **https://www.baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा। **चरण 2**- केवाईसी सत्यापनः बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। **चरण 3** - ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरणः ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। **चरण 1 से चरण 3** बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।
3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले **https://www.baanknet.com** और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.centralbankofindia.co.in** देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का **25%** (**EMD** काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी **75%** 15 दिनों के अंदर सेल इंटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इंटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 13.08.2026 स्थानः अंबिकापुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

लोकसदन ऑनलाईन
के लिए लॉगआन करें:-
oksadan.com/epaper

आम सूचना

साधारण को सुचित किया जाता पक्षकार जय प्रकाश सोनी उम्र वर्ष पिता स्व. नत्थू लाल सोनी, राम कॉलोनी, टी. पी. नगर, सील व जिला कोरबा (छ.ग.) पक्षकार एवं उसके छोटे भाई उम्र लगभग 40 वर्ष पिता स्व. सोनी, पता- चौहान मोहल्ला, , कोरबा, तहसील व जिला छ.ग.) के मध्य संपूर्ण संपत्ति न, भूमि, मकान आदि का पूर्व में हो चुका है। बंटवारा होने के पूर्व में सुनील सोनी के द्वारा व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो या कोई देनदारी बकाया हो तो स्त जवाबदारी सुनील सोनी की त लेन-देन के संबंध में मेरे की किसी प्रकार का कोई नहीं है और न ही भविष्य में भविष्य में सुनील सोनी के साथ व्यवहार किया गया होगा या किया उसके विरूद्ध किसी प्रकार की र्यवाही की जाती है तो उसकी ाबदारी एकमात्र रूप से सुनील होगी, मेरे पक्षकार की नहीं होगी। सूचना से अवगत होवें।

(जय प्रकाश सोनी)
आवेदक/अधिवक्ता
(अशोक कुमार सोनी)
अधिवक्ता,
ा- दूरपा रोड, कोरबा,
व जिला कोरबा (छग.)
ो. नं. 94061 11119

क्षेत्रीय सदन
https://epaper.dainikloksadan.com
कोरबा, शुक्रवार 14 अगस्त 2026 3

आंकड़ा हुआ पार

ंग का बना रिकॉर्ड

ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर

अनाधिकृत प्रवेश रोकने और ट्रेनों का सुरक्षित संचालक सुनिश्चित करने

रेलवे ट्रैक के 19,700 किलोमीटर हिस्से पर लगाई गई है सुरक्षा बाड़